प्रेस विज्ञप्ति

27.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अमृतसर और ग्रेटर नोएडा में स्थित 28.36 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, चंडीगढ़ की एफआईआर के आधार पर मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड (एसओएल), इसके पूर्व निदेशकों रोहित अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, सुमित अग्रवाल और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और करूर व्यास्य बैंक के नेतृत्व में 9 ऋणदाता बैंकों के संघ को 950 करोड़ रुपये से अधिक की गलत हानि पहुंचाने के आरोप में जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि एसओएल के पूर्व निदेशकों/प्रवर्तकों ने संबंधित/नियंत्रित/लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं, शेल इकाई और डमी इकाई के जाल के माध्यम से एसओएल द्वारा प्राप्त ऋण राशि का शोधन किया। जांच से यह भी पता चला है कि एसओएल के पूर्व निदेशकों/प्रवर्तकों ने एनसीएलटी की सीआईआरपी कार्यवाही का दुरुपयोग करके वास्तविक और अप्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल कर लिया।

जांच के दौरान, ईडी ने जनवरी 2024 में पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली और 1.19 करोड़ रुपये की नकदी और 226 ग्राम सोना जब्त किया। जुलाई 2024 में, ईडी ने पीएमएलए की धारा 19 के तहत पूर्व निदेशकों/प्रवर्तकों के साथ मिलकर साजिश करने और ऋण राशि के उक्त डायवर्जन में शामिल तीन प्रमुख व्यक्तियों राकेश गुलाटी (सीए), परमजीत शर्मा और अजय यादव (एसआरए) को गिरफ्तार किया। इसके अलावा, ईडी ने अगस्त 2024 में इस मामले में 294 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है, जिसकी पुष्टि माननीय न्यायाधिकरण (पीएमएलए) ने की है।

निष्कर्षों के आधार पर, 29.08.2024 को पीएमएलए की धारा 44 और 45(1) के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की गई, जिसमें उपरोक्त संस्थाओं, पूर्व निदेशकों/प्रमोटरों और अन्य सहित 25 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया। इसका संज्ञान माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली द्वारा 25.09.2024 को लिया गया।

आगे की जांच के दौरान**,** ईडी ने पता लगाया कि अपराध के अतिरिक्त आगमों को उससे संबंधित इकाई**-** स्टार ट्रैक फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड और पूर्व निदेशकों**/**प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित अन्य संपत्तियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था**,** जिन्हें अब जब्त कर लिया गया है। मामले में अब तक जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य **322.55** करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।